प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 03 दिसम्बर, 2024

विषय: नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में ERP Software के Upgradation, Maintenance and Operational Support हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-170/ना0उ0नि0/40जी/2024 दिनांक 13 सितम्बर, 2024 एवं पत्र संख्या-186/ना0उ0नि0/40जी/2024 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासनादेश संख्या-1224/छप्पन-14-108/2000 दिनांक-07 नवम्बर 2014 नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0एल0सी0) के माध्यम से ई0आर0पी0 साफ्टवेयर के विकास तथा तत्सम्बन्धी हार्डवेयर एवं सह उपकरण क्रय करने, उसका संस्थापन, उसके परिचालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण और उसके न्यूनतम आरम्भित 05 वर्षों के लिए अनुरक्षण कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में रूपया 6,37,07,000/- (रूपया छः करोड़ सैंतीस लाख सात हजार मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त शासनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि रू0 6,37,07,000/- से व्यय उपरान्त यू0पी0एल0सी के पास कुल धनराशि रु0 1,80,17,254.15 अवशेष उपलब्ध है। तत्समय ई0आर0पी0 साफ्टवेयर के विकास तथा तत्सम्बन्धी हार्डवेयर एवं सह-उपकरण क्रय करने हेतु यू0पी0एल0सी द्वारा मैसर्स कैल्ट्रान को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया था। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यू0पी0एल0सी के पास धनराशि रू0 1,80,17,254.15+ अर्जित ब्याज 49,28,465.85=2,29,45,720/- उपलब्ध होने की सूचना देते हुए यू0पी0एल0सी0 द्वारा चयनित M/s Margsoft Technologies Pvt Ltd के माध्यम से नागरिक उड्डयन निदेशालय उ0प्र0 में ERP Software के Upgradation Maintenance and Operational Support के लिए रू0 2,35,56,753/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में ERP Software के Upgradation, Maintenance and Operational Support हेतु शासनादेश संख्या 65-2024/923/छप्पन-2024-108/2000 दिनांक 12 अगस्त, 2024 द्वारा धनराशि रु0 1,80,17,254/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। उक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा शासनादेश संख्या 65-2024/923/छप्पन-2024-108/2000 दिनांक 12 अगस्त, 2024 में UPLC द्वारा M/s Margsoft Technologies Pvt Ltd

2/.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के माध्यम से नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में ERP Software के Upgradation Maintenance and Operational Support का कार्य कराये जाने हेतु कुल लागत धनराशि रू0 2,35,56,753.00 पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में ERP Software के Upgradation, Maintenance and Operational Support हेतु शासनादेश संख्या 65-2024/923/छप्पन-2024-108/2000 दिनांक 12 अगस्त, 2024 द्वारा जारी धनराशि रु0 1,80,17,254/- की वित्तीय स्वीकृति निरस्त करते हुए नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में ERP Software के Upgradation, Maintenance and Operational Support का कार्य UPLC द्वारा M/s Margsoft Technologies Pvt Ltd के माध्यम से कराए जाने हेतु कुल लागत धनराशि रू0 2,35,56,753.00 में से शासनादेश संख्या-1224/छप्पन-14-108/2000 दिनांक-07 नवम्बर 2014 द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि रू0 6,37,07,000/- से व्यय उपरान्त यू0पी0एल0सी के पास अवशेष कुल धनराशि रु0 1,80,17,254/- के व्यय की अनुमति तथा यू0पी0एल0सी0 के पास उपलब्ध ब्याज की कुल धनराशि रु0 49,28,465.85/- को कोषागार में जमा किये जाने एवं अवशेष धनराशि रू 55,39,499.00 का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के ''राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक-2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मदों 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान व 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के अन्तर्गत यथासमय पुनर्विनियोजन के उपरान्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

4- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

5- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

3/.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 (10)(ज) में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

9- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

10- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

11- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन ''राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक-2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-01/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

संख्या: 100/2024/1588(1)/छप्पन-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in